

प्रपत्र- 2.3

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत दूणी-सुकुण्डा मोटर मार्ग का विस्तार शोभाकुण्ड तक 8.00 किमी० मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 11-03-2017 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री धन सिंह कपकोटी राजस्व विभाग की ओर से श्री मोहन सिंह भास्ती प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री ओकार पाण्डे सहायक अभियन्ता एवं श्री सन्नी कुमार सैनी कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वनभूमि/नापभूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वनभूमि 0.980 है०, सिविल एवं सोयम वनभूमि 1.260 है०, वन पंचायत भूमि 2.100 है० एवं नापभूमि 1.260 है० प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरक्षण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से दूणी, प्रा० विद्यालय, पन्याती, विर्धी एवं पोखरी जिसमें 912 जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में 20.6 वृक्षों व नापभूमि 60 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो).....

ह०/-
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट
(प्रयोक्ता, एजेन्सी)

ह०/-
राजस्व उपनिरीक्षक
(राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)

ह०/-
वन विभाग का प्रतिनिधि
(सहायक)

ह०/-
(जिलाधिकारी)

जिलाधिकारी
बागेश्वर

ह०/-
(प्रभागीय वनाधिकारी)

ह०/-
Divisional Magistrate
(सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)

ह०/-
(ग्राम प्रधान/ वन पंचायत सरपंच)